

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(253)वित्त-1(1)आ.व्यय/2012/

जयपुर, दिनांक : 20/11/14

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 426 /2014-15)

विषय :- पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम किश्त की राशि का जिला परिषदों व पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ4 () परावि/पी.सी./निरायो/बजट/2014-15/1686 दिनांक 18.11.14 में अंकित शर्तों एवं साथ संलग्न सारणी के अनुसार संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार कूल राशि रु. 56,06,88,000/- (अक्षरे राशि रु. छप्पन करोड़ छः लाख अट्ठासी हजार मात्र) निम्न बजट मद में से व्यय दर्शाते हुए हस्तान्तरित कर दिया जावे:-

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

सारणी 'अ' के अनुसार

बजट मद : 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 196 - जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता			
मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(15) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(16) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(17) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप/ गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	
676.56	186.89	257.93	1121.38
अक्षरे राशि रु. छः करोड़ छियातर लाख छप्पन हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. एक करोड़ छियासी लाख नवासी हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. दो करोड़ सतावन लाख तिसावन हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. ग्यारह करोड़ ईकवीस लाख अड़तीस हजार मात्र


सारणी 'ब' के अनुसार

बजट मद : 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम 197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता			
मांग सं. 41	मांग सं. 30	मांग सं. 51	योग (राशि लाखों में)
(10) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप/ गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(11) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप / गतिविधियां 12-सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	(12) - पंचायत राज संस्थाओं के लिए निर्बंध कोष (02) - कार्यकलाप/ गतिविधियां 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैरसंवैतन) आयोजना	
2698.78	755.06	1031.66	4485.50
अक्षरे राशि रु. छम्बीस करोड़ अट्ठानवे लाख अठतर हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. सात करोड़ पचपन लाख छः हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. दस करोड़ इकतीस लाख छियासठ हजार मात्र	अक्षरे राशि रु. चवातीस करोड़ पचासी लाख पचास हजार मात्र
कुल योग			5606.88

(अक्षरे राशि रु. छप्पन करोड़ छः लाख अट्ठासी हजार मात्र)

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम, इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक, भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जायें।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा। राजस्थान उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम/नियम के प्रावधानों तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना प्रशासनिक विभाग के स्तर पर सुनिश्चित की जावे।


(एम.एल. आचार्य)
उपशासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियाँ सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
5. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजस्थान।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्युटर सैल) विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

1
उपशासन सचिव, वित्त (बजट)